ग्राम पंचायत मौलीचक, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मौलीचक, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मौलीचक में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

1	श्रीमती लक्ष्मी देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–.

1	श्रीमती सविता कुमारी	01.04.2022 से 23.11.2022
2	श्री संजय कुमार	24.11.2022 से 11.08.2023
3	श्री दीन सिंह	12.08.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत मौलीचक के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का सक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना ।	1.90
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।.	23.14
3	7, 7.2	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.34
4	8	ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान/व्यय।	4.67
5	9	प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में राशि का अन्तर।	14.83

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई, उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत, अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति की मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 108 से पुष्टि करने उपरान्त।
2	4.1	अनिर्णीत।
3	4.2	अनिर्णीत ।
4	5	निर्णीत, नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित करने उपरान्त।
5	5.2	अनिर्णीत ।

6	5.3	निर्णीत (शादी पंजीकरण फीस की ₹7200/– की वसूली रसीद संख्या 108229 दिनांक 28.03.2025 करने उपरान्त खाता संख्या 201141013099 दिनांक 29.03.2025 को जमा करवा दी गई है जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 14 पर कर दी गई है। अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
7	6	अनिर्णीत ।
8	7	अनिर्णीत ।
9	8	अनिर्णीत ।
10	9	निर्णीत (अधिक किये गये भुगतान ₹ 1000/– की वसूली रसीद संख्या 108228 दिनांक 28.03.2025 करने उपरान्त खाता संख्या 201141013099 दिनांक 29.03.2025 को जमा करवा दी गई है जिसकी प्रविष्टि रोकड बही के पृष्ठ संख्या 14 पर कर दी गई है। अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
11	10	निर्णीत (₹450/– की वसूली रसीद संख्या 108230 दिनांक 28.03.2025 करने उपरान्त खाता संख्या 201141013099 दिनांक 29.03.2025 को जमा करवा दी गई है जिसकी प्रविष्टि रोकड बही के पृष्ठ संख्या 14 पर कर दी गई अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
12	11	अनिर्णीत ।
13	12	अनिर्णीत ।
14	13	अनिर्णीत ।
15	14	अनिर्णीत ।
16	15	अनिर्णीत ।
17	16	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत मौलीचक, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26.03.2025 से 03.04.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	04/2022	05/2022
2023–2024	07/2023	01/2024

अस्वीकरण:– (Disclaimer) इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत मौलीचक, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 5600/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 96 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत मौलीचक विकास खण्ड पालमपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत मौलीचक के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022–23	430244.3	47741	12863	490848.3	107369	383479.3
2023–24	383479.3	65540	26918	475937.3	30339	445598.3

(2) अनुदान : ग्राम पंचायत मौलीचक के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022–23	1748354	3971512	24250	5744116	3070286	2673830
2023–24	2673830	3392560	20423	6086813	3772952	2313861

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC, VKVNY, 15th FC, MMAGY

A/c No. 20141013099	KCCB Panchrukhi	OWN SOURCE, 5TH STATE	818670
A/c No. 50364891580	Indian Bank Palampur	VKVNY, SDP	308227
A/c No. 50364891080	Indian Bank Palampur	MMAGY, SDRF	468292
A/c No.50100358462391	HDFC Palampur	15TH FC	1352763
A/C No. 50423834671	Indian Bank Palampur	14TH FC	767
cash in hand			514
		Total	**2949233**

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		445598.3
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	260965
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	180858
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	1276514
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY	205934
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	362418
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF	27172
	Total	**2759459.3**
	diffrence	**189773.7**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹1.90 लाख का अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹1,89,774/– पाया गया, जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 260/01 दिनांक 11.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखें खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम, निर्देशों एवं गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.19 से 31.03.21 के पैरा 4.2 के अन्तर्गत अंकेक्षण को दिये आश्वासन के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 98 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया,

जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 260/01 दिनांक 11.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण सुझावानुसार नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 निर्देशानुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग बैंक खाते न खोलनाः–

निदेशक, पंचायत राज के पत्र संख्या PCH-HA(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 में दिये गये निर्देशों अनुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग खाते खोले जाने अपेक्षित हैं।

पंचायत द्वारा खाता क व ख के अन्तर्गत Own source, 5th State स्कीमों के लिए हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लघंन करते हुये एवं उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के विरूद्ध एक ही बैंक खाता संख्या 20141013099 के0सी0सी0बी0 व VKVNY, SDP हेतू खाता संख्या 50364891580 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में पूर्ण पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 98/1 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 260/01 दिनांक 11.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में उक्त निर्देशानुसार खाते खोलने बारे ध्यान रखा जायेगा।

अतः नियमानुसार तुरन्त प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र मे वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये।

5. निवेश :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के कुशल प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में ₹ 4,45,598/–की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 99 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 260/01 दिनांक 11.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख–रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹23.14 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 23,13,861.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.34 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म—10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारण वश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/— **परिशिष्ट—2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर अधिरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व सम्पति कर ₹ 28,630/— वसूली हेतु शेष था :—

सम्पति कर :—

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022—23	1830	22050	23880	19650	4230
2023—2024	4230	24400	28630	0	28630

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर

नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 260/01 दिनांक 11.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹ 28,630/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹0.05 लाख की वसूली न करने बारेः–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹ 200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹ 400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹ 50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2022–23 व 2023–24 में निम्न विवरणानुसाार ₹5425 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थेः–

क्र0सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वास्तविक वसूली राशि (₹)	कम वसूल की गई राशि। (₹)
1	03	अजय कुमार पुत्र श्री मोहर	27.09.22	11.10.22	200	0	200
2	04	पल्लवी शर्मा पुत्री श्री विजय कुमार	27.09.22	16.12.22	400	0	400
3	05	गौरव डोगरा पुत्र श्री हरी सरण डोगरा	02.12.22	22.12.22	200	0	200

4	06	कल्याणी पुत्री श्री राज कुमार	02.12.22	24.12.22	200	0	200
5	07	सोनू पुत्र श्री कर्म चन्द	02.12.22	27.12.22	200	0	200
6	08	नितिका पुत्री श्री धर्म चन्द	04.12.22	29.12.22	200	0	200
7	09	सुर्याश कटोच पुत्र श्री विजेन्द्र कटोच	02.12.22	29.12.22	200	0	200
8	10	अरूण ठाकुर पुत्र श्री कशमीर सिंह	15.10.22	04.02.23	400	0	400
9	11	सविता पुत्री श्री सरवण	09.02.23	16.02.23	200	0	200
10	12	अरनव दिक्षित पुत्र श्री औंकार चन्द	06.02.23	16.02.23	200	0	200
11	13	रितू देवी पुत्री श्री सुमन कुमार	22.02.23	09.03.23	25	0	25
12	14	रश्मि पुत्री श्री अनिल कौल	09.03.23	13.03.23	200	0	200
13	15	अभिषेक ठाकुर पुत्र श्री पाल सिंह	09.07.23	21.07.2	200	0	200
14	16	सुशील कुमार पुत्र श्री प्रितम चन्द	25.09.23	04.11.23	400	0	400
15	17	मुनीष कुमार पुत्र श्री सुभाष	06.11.23	17.11.23	200	0	200
16	18	यशपाल पुत्र श्री राम प्रकाश	25.09.23	06.12.23	400	0	400
17	19	अभिषेक पुत्र श्री सूरेश	25.09.23	22.12.23	400	0	400
18	20	नितिन डोगरा पुत्र कृष्ण चन्द डोगरा	10.11.23	15.11.23	200	0	200
19	21	अमन पुत्र दीप कुमार	14.02.24	21.02.24	200	0	200

20	22	तमन्ना पुत्री श्री धनी राम	02.03.24	12.03.24	200	0	200
21	23	बबलू पुत्र श्री भिन्दर	18.02.24	15.03.24	200	0	200
22	24	अनिल कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द	07.03.24	20.03.24	200	0	200
23	25	अर्पण पुत्र श्री कर्म चन्द	11.03.24	27.03.24	200	0	200
							5425

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 101 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 260/01 दिनांक 11.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गए आश्वासनानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

8. खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹4.67 लाख के अनियमित भुगतान करने बारेः–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉंजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी

नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान ₹ 4,67,360/– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 103 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 260/01 दिनांक 11.04.2025 द्वारा सूचित किया कि कुछ सामग्री के फार्म "एक्स" व "डब्ल्यू" प्राप्त किये गये है । अतः भविष्य में समस्त सामग्री फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया ।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹14.83 लाख की राशि के अन्तर बारेः–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में

वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा था तथा जो खाते प्रिया सॉफ्टवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹14,82,945.30 की राशि का निम्न विवरणानुसार बहुत ज्यादा अन्तर पाया गया:–

31.03.2024 को प्रिया सॉफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	1276514.00
31.03.2024 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	2759459.30
अन्तर	₹	1482945.30

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 104 दिनांक 03.04.2025 द्वारा उक्त अन्तर बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 260/01 दिनांक 11.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफ्ट तथा मैनुअल लेखों को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

11. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज आपत्ति उपरान्त भी पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

13. **लघु आपत्ति विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

14. **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

3067-3071 31 MAY 2025 का0/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)308/2021–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मौलीचक, विकास खण्ड पालमपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

31 MAY 2025

का0/प्रति

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Moulichek" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 SFC	325000	173300	0	498300	245510	252790
2	VKVNY	290000	222815	9631	522446	234757	287689
3	15TH FC	792374	889644	0	1682018	228385	1453633
4	MMAGY	150000	400000	14619	564619	239012	325607
5	SDP	107528	352882	0	460410	134500	325910
6	SDRF	83452	82871	0	166323	138122	28201
7	MNREGA	0	1850000	0	1850000	1850000	0
	Total Rs.	1748354	3971512	24250	5744116	3070286	2673830

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Moulichek" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 SFC	252790	244225	0	497015	236050	260965
2	VKVNY	287689	544200	10813	842702	661844	180858
3	15TH FC	1453633	427658	0	1881291	604777	1276514
4	MMAGY	325607	91777	9610	426994	221060	205934
5	SDP	325910	525701	0	851611	489193	362418
6	SDRF	28201	40000	0	68201	41029	27172
7	MNREGA	0	1518999	0	1518999	1518999	0
	Total Rs.	2673830	3392560	20423	6086813	3772952	2313861

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 15th FC, MMAGY

A/c No. 20141013099	KCCB Panchrukhi	OWN SOURCE, 5TH STATE	818670
A/c No. 50364891580	Indian Bank Palampur	VKVNY, SDP	308227
A/c No. 50364891080	Indian Bank Palampur	MMAGY, SDRF	468292
A/c No.50100358462391	HDFC Palampur	15TH FC	1352763
A/C No. 50423834671	Indian Bank Palampur	14TH FC	767
cash in hand			514
	Total		2949233

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		445598.3
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	260965
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	180858
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	1276514
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY	205934
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	362418
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF	27172

Total 2759459.3

diffrence -189773.7

Checked

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT MOULICHAK

DEV BLOCK PANCHRUKHI, KANGRA, H.P.

Financial Position of Own sources in r/o GP Moulichek

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	430244.3	47741	12863	490848.3	107369	383479.3
2023-24	383479.3	65540	26918	475937.3	30339	445598.3

Checked

PRADHAN SECY

DEV BLOCK PANCHRUKHI, KANGRA, H.P

परिशिष्ट-2
(अतिरिक्त आवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Moulichek **Distt.Kangra,H.P.**

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	1830	22050	23880	19650	4230
2023-24	4230	24400	28630	0	28630

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT MOULICHAK
DEV BLOCK PANCHRUKHI, KANGRA, H.P

परिशिष्ट-3
(अभिलेख उपलब्ध के पत्र संख्या 8 के सन्दर्भ में)

Name of Gram Panchayat-------MOLI CHAK-------------- Development. Block Panchrukhi Distt Kangra (HP)

(2022-23)

S.N	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher No & Payment Date	Bill No & Date	Sand CFT	Bajri CFT	Boulder	Bricks Nons	Amount
1	DEP. OF KUHAL MANJIT LAND TO KISHORI LAL LAND	MNREGA	SHARMA SUPPLIER	21-05-2022	1105, 29/12/21	0	0	150	0	6000
2	DO	MNREGA	DO	21-05-2022	1106, 29/12/21	120	0	0	0	5520
3	DO	MNREGA	-----	21-05-2022	1107, 29/12/21	0	400	0	0	17200
4	C/O KUHAL SUNIL AWASTHI HOUSE TO JAGDISH HOUSE	MNREGA	-----	21-05-2022	1104, 29/12/21	0	0	85	0	3400
6	WATER TANK ROSHANI W/O KESHAV RAM	MNREGA	DO	19-05-2022	1134, 01/01/22	200	0	0	0	9200
7	DO	MNREGA	DO	19-05-2022	1135, 01/01/22	0	400	0	0	17200
8	DO	MNREGA	-----	19-05-2022	1138, 01/01/22	200	0	0	0	9200
9	DO	MNREGA	-----	19-05-2022	1139, 01/01/22	0	350	0	0	15050
10	C/O JEEPROAD / PATH SANSAR CHAND HOUSE TO BALKARISAN HOUSE	MNREGA	-----	21-05-2022	1125, 29/12/21	180	0	0	0	8280
11	DO	MNREGA	-----	21-05-2022	1127, 29/12/21	0	0	600	0	24000
12	DO	MNREGA	-----	21-05-2022	1128, 29/12/21	0	450	0	0	19350
13	C/O PATH PATWAR BAWAN TO AWDESH HOUSE	MNREGA	-----	21-05-2022	1098, 29/12/21	0	200	0	0	8600
14	C/O PATH HANDPUMP TOWARDS SUDERSHAN PANDIT HOUSE	MNREGA	-----	21-05-2022	1099, 29/12/21	0	0	200	0	8000
15	C/O CHECK DAM NEAR SAMSHANGAT CHUDREHAD	MNREGA	-----	21-05-2022	1108, 29-12-2021	0	400	0	0	17200
16	DO	MNREGA	-----	21-05-2022	1122, 29-12-2021	800	0	0	0	36800
17	DO	MNREGA	-----	21-05-2022	1123, 29-12-2021	0	400	0	0	17200
18	C/O CHECK DAM NEAR ISHWAR HOUSE	MNREGA	-----	21-05-2022	1097, 29/12/21	0	460	0	0	19780
19	DO	MNREGA	-----	21-05-2022	1129, 01/01/22	240	0	0	0	11040
20	REP. OF J/ROAD PLAYGROUND TO HANDPUMP BY ASHISH DOGRA HOUSE	VKNVY	-----	24-05-2022	1140, 28/01/2022	500	500	0	0	32140
									TOTAL	285160

Name of Gram Panchayat-------MOLI CHAK-------------- Development. Block Panchrukhi Distt Kangra (HP)

(2023-24)

S.N	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher No &Payment Date	Bill No & Date	Send CFT	Bajri CFT	Boulder	Bricks Nons	Amount
1	C/O DRAIN NEAR KARAM $ DHARAM CHAND LAND	15 TH	KARTIK SOOD	10, 04-01-2024	071, 24/12/2023	0	0	100	0	4800
2	DO	DO	SHARMA SUPPLIER	11, 04/01/2024	1406, 24/12/2023	150	250	0	0	19750
3	C/O JEEPROAD SWROOP CHAND HOUSE TO SHIV MANDIR TOWARDS	DO	KARTIK SOOD	14, 04/01/2024	064, 20/12/2023	0	0	525	0	25200
4	DO	DO	SHARMA SUPPLIER	13, 04/01/2024	1405, 24/12/2023	250	500	0	0	36750

5	C/O JEEPROAD KISHORI LAL HOUSE TO HEMRAJ HOUSE TOWARDS	DO	KARTIK SOOD	16, 04/01/2024	062, 20/12/2023	0	0	200	0	14400
6	UPGRADATION SAMSHANGAT W.N 1	DO	KARTIK SOOD	16, 20/01/2024	075, 08/12/2023	0	0	400	0	19200
7	DO	DO	DO	17, 20.01.2024	076, 08/01/2024	0	0	1000	0	18000
8	C/O JEEPROAD SWROOP CHAND HOUSE TO SHIV MANDIR TOWARDS	DO	SHARMA SUPPLIER	18, 20/01/2024	1412, 08/12/2023	300	600	0	0	44100
									TOTAL	182200

Secretary
Gram Panchayat Kotlehar
Development Block Panchrukhi

21